कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES (x3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :– ..../पी.बी.आर./2017 विविध

PBR/विविध/ग्वालियर/भू.रा./2017/3051

श्री .... द्वारा आज दि. 30/8/2017 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 30-8-17

1– आनन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयाल शर्मा

2– अरविन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री रामेश्वर दयालशर्मा समस्त निवासीगण ग्राम सुपावली तहसील व जिला ग्वालियर हाल निवासी भगवती कालौनी सिंहपुर रोड़ मुरार जिला ग्वालियर –प्रार्थीगण

बनाम

1– अपर तहसीलदार उप तहसील मुरार जिला ग्वालियर

2– अजमेर सिंह पुत्र श्री भूप सिंह निवासी ग्राम सुपावली तहसील व जिला ग्वालियर –अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8 तथा सहपठित धारा 50 मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध नायब तहसीलदार वृत्त बेहट जिला ग्वालियर प्र.क्र. 5/84-85 अ-19 आदेश दिनांक 5/2/1985

महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/विविध/ग्वालियर/भू.रा./17/3051 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.9.2017	आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से इस न्यायालय में म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 8 सहपठित धारा 50 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदक की ओर से किसी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये संहिता की धारा 50 इस प्रकरण में लागू नहीं होती है । संहिता की धारा 8 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालयों की किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया विधि अनुसार प्रस्तुत नहीं होने के कारण अग्राह्य की जाती है । **अध्यक्ष**	